# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

7वीं मंजिल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029

याचिका सं.146/टीएल/2024 दिनांकः 3.6.2024

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, 2, धरम मार्ग, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली–110021 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "महाराष्ट्र में सोलापुर (1500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली" की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया हैः

| क्र. सं. | पारेषण घटक का नाम | प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी |
|---|---|---|
| 1. | 2x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टरों के साथ सोलापुर पीएस पर 400/220 केवी, 4x500 एमवीए आईसीटी की स्थापना<br>• 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी – 4<br>• 400 केवी आईसीटी बे – 4<br>• 220 केवी आईसीटी बे – 2<br>• 400 केवी लाइन बे – 2<br>• सोलर पार्क अंतरसंयोजन के लिए 220 केवी लाइन बे – 5<br>• 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर – 2 नंबर<br>• 400 केवी बस रिएक्टर बेः 2 नंबर<br>• 220 केवी टीबीसी बे – 1 नंबर<br>• 220 केवी बीसी बे – 1 नंबर<br>**भावी प्रावधानः निम्नलिखित के लिए स्थानः**<br>• संबद्ध बे के साथ 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी–6 नंबर<br>• स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 400 केवी लाइन बे–12 नंबर<br>• बे के साथ 420 केवी, 2x125 एमवीएआर बस रिएक्टर<br>• 220 केवी लाइन बे के 15 नंबर<br>• 220 केवी लेवल (3 सेट) एवं 400 केवी लेवल (1 सेट) पर सेक्शनलाइजर व्यवस्था<br>• 220 केवी टीबीसी बे – 3 नंबर<br>• 220 केवी बीसी बे – 3 नंबर | 24 माह |
| 2. | सोलापुर पीएस – सोलापुर (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल59 मूज़ समतुल्य) | |
| 3. | सोलापुर पीएस – सोलापुर (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए सोलापुर (पीजी) सबस्टेशन पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर | |

नोटः पावरग्रिड, सोलापुर पीएस – सोलापुर (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए सोलापुर (पीजी) पर 400 केवी बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।"

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 4.4.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 146/टीएल/2024 में दिनांक 30.5.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.torrentpower.com/ पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **14.6.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **18.6.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव